502
502

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

......

No. E(NG)I/2002/PM1/31 **New Delhi, 22-08- 2003**

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: ***Psychological Test in Departmental selections.***

In terms of this Ministry's letter No. E(NG)I/92/PM1/22 dt. 26.09.94, the serving staff are required to be subjected to psycho-test at the stage of promotion to the post of Switchman, ASM, Diesel/Elec. Asstts., Goods Driver, Motorman and at the stage of deployment of Drivers on Rajdhani/Shatabhdi Express trains. In this Ministry's letter No. E(NG)I/98/PM1/4 dt. 13.07.99 it was clarified that psycho test wherever prescribed will be of qualifying nature and part of the selection meaning thereby that a person who fails in the psycho test is not eligible to be included in the panel.

2. The scope of Psycho Test and its effect on the eligibility of staff for empanelment have been considered by a high level Committee. The recommendations of the Committee have been considered by the Board and following decisions have been taken:-

(i) The Psycho Test should henceforth be called as 'Aptitude Test'.

(ii) So far as in-service employees are concerned, the Aptitude test will now be applicable at the stage of promotion as ASM, Diesel/Elec. Asstts. and Motorman (EMU/ MEMU/ DMU) and at the stage of deployment of Drivers on high speed trains running above 110 kmph. While the Aptitude test need not be given to Drivers of Rajdhani/Shatabdi Express trains running at lower speeds, the Drivers for deployment on non-Shatabhdi/Rajdhani trains also running over 110 kmph should be subjected to the Aptitude Test.

(iii) The Aptitude test should be given a weightage of 20% in the selection for promotion as ASM, Diesel/Elec. Asstt. and Motorman and should be integrated in the selection proceedings. In other words, the Aptitude test will no more be of qualifying nature.

....2/-

2.1. It has been decided further that weightage of 20 marks, that is required to be given to Aptitude test in the selection for promotion to the above categories should be given in lieu or by bifurcating the heading/marks under the heading Personality, address, leadership and academic/technical qualifications. Accordingly in the case of selection for promotion as ASM and Diesel/Elec. Asstts. covered by procedure laid down for general (selection) posts, the existing heading "Personality, address, leadership and academic/technical qualifications should be bifurcated as under:-

		Max.Marks	Qualifying Marks
i)	Academic/technical qualifications.............	10	Nil
ii)	Aptitude Test....................................	20	Nil

In the case of selection for promotion as Motorman the existing heading "Personality, address, leadership and academic/technical qualifications should be deleted and substituted by the following:-

	Max. Marks	Qualifying Marks
"Aptitude Test	20	Nil

3. It has also been decided that only the staff who clear the written test held as part of the selection should be subjected to Aptitude Test.

4. The Indian Railway Establishment Manual should also be amended as in the ACS No. **149** enclosed.

Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board

Encl: As above.

D:\PRAVA.C.S\Psycho-Promo-'c'.doc

No.E(NG)I/2002/PM1/31 **New Delhi. Dated 22-08-2003**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.

10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(B), MSR(A).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.
PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.
PSs to all EDs/JSs and IG/RPF.

D(OL), DPC-I&II, DE(Res), DE(G), D(IH), D(H&FW), DE(L), JDE(N), JDE(N)II, DE(R)I&II, JDE(Rep)I&III, JDE(D&A), JDE(LR), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, US(A), DDV(A&P), DDE(Rep)II, DD(OL)I&II, E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, A/C-III Code Revision Cell.

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME I, 1989 EDITION

Section 'B', Chapter II – Promotion of Group 'C' Staff

Advance Correction Slip No. **149**

I. Insert the following as Note (v) after the existing Note (iv) below the existing para 219 (g):

"(v) in the case of selection for promotion as Motorman, substitute the following for the existing heading 'Personality, address, leadership and academic/technical qualifications' in the table below para 219 (g):-

	Max. Marks	Qualifying Marks
" Aptitude test	20	Nil

II. Insert the following as Note (iv) after the existing Note below para 219(j):

"(iv) In the case of selection for promotion to the post of Diesel/Elect. Asstts. and ASMs, the heading (2) above shall be bifurcated as under:-

			Max. marks	Qualifying marks
(a)	Academic/ Technical Qualifications	-	10	Nil
(b)	Aptitude Test	-	20	Nil

(Authority: Ministry of Railways letter No. E(NG)I/2002/PM1/31 dt. 22 -08-2003)

******

D:\PRA\A.C.S\Psycho-Pro..-'c'.doc

आर बी/स्था. सं. 144/03

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एन जी)1/2002/पी एम 1/31 नई दिल्ली, 22.08.2003

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय: विभागीय चयनों में मनोवैज्ञानिक परीक्षा

इस मंत्रालय के दि. 26.09.1994 के पत्र सं. ई (एन जी)1/92/पी एम1/22 के अनुसार स्विचमैन, सहायक स्टेशन मास्टर, डीज़ल/बिजली सहायक/माल ड्राइवर, मोटरमैन के पद पर पदोन्नति के समय और राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों पर ड्राइवरों की तैनाती के समय सेवारत कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली जानी अपेक्षित है. इस मंत्रालय के दि. 13.07.1999 के पत्र सं. ई (एन जी)1/98/पी एम1/4 में यह स्पष्ट किया गया था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा, जहां कहीं भी निर्धारित की गई है, अर्हक स्वरूप की होगी तथा चयन का हिस्सा होगी अर्थात् मनोवैज्ञानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाला व्यक्ति पैनल में शामिल किए जाने का पात्र नहीं होगा.

2. एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षा और पैनल में रखे जाने के लिए कर्मचारी की पात्रता पर इसके प्रभाव पर विचार किया गया था. बोर्ड द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(i) मनोवैज्ञानिक परीक्षा अब से "अभिक्षमता परीक्षा" कहलाएगी.

(ii) जहां तक सेवारत कर्मचारियों का प्रश्न है, अब सहायक स्टेशन मास्टर, डीज़ल/बिजली सहायक और मोटरमैन (ईएमयू/एमईएमयू/डीएमयू) के रूप में पदोन्नति के समय और 110 कि.मी. प्र.घ. से अधिक गति से चालित उच्च गति की गाड़ियों में ड्राइवरों की तैनाती के समय अभिक्षमता परीक्षा लागू होगी. यद्यपि निम्नतर गति पर चालित राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के ड्राइवरों की अभिक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है तथापि 110 कि.मी. प्र.घ. से अधिक गति से चालित गैर-शताब्दी/राजधानी गाड़ियों में तैनाती के लिए ड्राइवरों को अभिक्षमता परीक्षा देनी होगी.

(iii) सहायक स्टेशन मास्टर, डीज़ल/बिजली सहायक और मोटरमैन के रूप में पदोन्नति के लिए चयन में अभिक्षमता परीक्षा के 20% अंक दिए जाएं और चयन कार्यवाही में शामिल किया जाए. दूसरे शब्दों में, अभिक्षमता परीक्षा अब अर्हक स्वरूप की नहीं होगी.

2.1 आगे यह निर्णय लिया गया है कि 20% अंक जो उपर्युक्त कोटियों में पदोन्नति के लिए चयन में ली जाने वाली अभिक्षमता परीक्षा को दिए जाने अपेक्षित है, व्यक्तित्व, भाषा शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीकी अर्हताओं के अंतर्गत शीर्षक/अंकों के स्थान पर या उन्हें दो भागों में बांट कर प्रदान किए जाने चाहिए. तदनुसार सहायक स्टेशन मास्टर और डीज़ल बिजली सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए चयन के मामले में जो सामान्य (चयन) पदों के लिए निर्धारित कार्यविधि के अंतर्गत सम्मिलित है, वर्तमान शीर्षक "व्यक्तित्व, भाषा शैली, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताओं" को नीचे लिखे अनुसार दो भागों में बांटा जाए:

		अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i)	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं	10	शून्य
ii)	अभिक्षमता परीक्षा	20	शून्य

मोटरमैन के रूप में पदोन्नति के लिए चयन के मामले में वर्तमान शीर्षक "व्यक्तित्व, भाषा शैली, नेतृत्व और शैक्षिक/तकनीको अर्हताएं" को हटा दिया जाए और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
"अभिक्षमता परीक्षा	20	शून्य

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि केवल चयन के हिस्से के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों की ही अभिक्षमता परीक्षा ली जाए.

4. भारतीय रेलपथ स्थापना नियमावली में भी संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.....141.......के अनुसार संशोधन किया जाए.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

सं. ई (एन जी)1-2001/पी एम 1/31 नई दिल्ली, दिनांक 22.8.2003

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
3. विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री (बी), रेल राज्य मंत्री (ए) के निजी सचिव
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजीनियरी, सचिव के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I, 1989 संस्करण

खंड 'ख', अध्याय II-समूह 'ग' कर्मचारियों की पदोन्नति

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 149

I. वर्तमान पैरा 219 (छ) के नीचे वर्तमान टिप्पणी (iv) के बाद निम्नलिखित को टिप्पणी (v) के रूप में अंत:स्थापित करें:

"(v) मोटरमैन के रूप में पदोन्नति के लिए चयन के मामले में पैरा 219 (छ) के नीचे तालिका में वर्तमान शीर्षक 'व्यक्तित्व, भाषा शैली, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:

	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
"अभिक्षमता परीक्षा	20	शून्य

II. पैरा 219 (झ) के नीचे वर्तमान टिप्पणी के बाद निम्नलिखित को टिप्पणी (iv) के रूप में अतं:स्थापित किया जाए:

"(iv) डीज़ल/बिजली सहायक और सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए चयन के मामले में उपर्युक्त शीर्षक (2) के नीचे लिखे अनुसार दो भागों में बांटा जाए:

	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
(क) शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं	10	शून्य
(ख) अभिक्षमता परीक्षा	20	शून्य

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दि.22.8.2003 का पत्र सं. ई (एन जी)1/2002/पी एम 1/31)